जागृत आदिवासी दलित संगठन

मध्य प्रदेश

प्रैस विज्ञप्ति 29.08.23

जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता नितिन भाई बुरहानपुर में गिरफ्तार

आज जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता नितिन भाई को एक नाम झूठे मामले गिरफ्तार कर लिया गया है । मार्च में वन कर्मियों के साथ गुआरखेड़ा गाँव के आदिवासियों का झड़प हुआ था, नितिन भाई के वहाँ मौजूद नहीं होने के बावजूद, बाद में उनका नाम मामले में जोड़ा गया । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बुरहानपुर के जागरूक आदिवासियों और उनके आंदोलन पर यह सबसे ताज़ा हमला है!

मार्च के महीने में गुआरखेड़ा (बलड़ी पंचायत) के दो महिलाओं सहित 4 आदिवासियों को वन कर्मियों ने उनके घरों से जबरदस्ती मारते मारते ले गए । गाँव के कई महिला पुरुष उन्हें ढूँढने निकले और संगठन कार्यकर्ता नितिन भाई को भी खबर किए । नितिन भाई ने तुरंत डीएफओ और जिला कलेक्टर, बुरहानपुर से संपर्क किया और उनसे मामले में हस्तक्षेप कर कानून की उचित प्रक्रिया का पालन और आदिवासियों पर कोई हिंसा न हो, यह सुनिश्चित करने की मांग की। ग्रामीणों को भी इस बातचीत की जानकारी दी ।
ग्रामीणों के मुताबिक जब वन कर्मियों द्वारा उठाए गए लोगों को ढूंढते हुए कई लोग बुरहानपुर रेंज ऑफिस पहुंचे, उन्हें एक बंद कमरे के अंदर से उनके लोगों के दर्द से चीखने और मार पीट की आवाजें सुनाई दी । बताया जा रहा है कि इसके बाद कथित तौर पर ग्रामीणों और वनकर्मियों के बीच झड़प भी हुई । कुछ ही समय बाद, लगभग 20 पुरुषों और 15 महिलाओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था ।

हाल ही में हमें यह मालूम पड़ा कि बुरहानपुर पुलिस द्वारा इस मामले में नितिन भाई को सह-आरोपी बनाया गया है, और यह बेतुका आरोप लगाया जा रहा है कि नितिन भाई ने "फोन" से "रेंज ऑफिस पर हमला करवाया!" नितिन भाई ने कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण किया और उन्हें लालबाग पुलिस रिमण्ड पर ले गयी है।
पुलिस के बुलाने पर मार्च में नितिन भाई दो बार बयान देने लालबाग थाना गए थे, पर दोनों बार बिना बयान लिए पुलिस ने उन्हें लौटा दिया था । बाद में जब संगठन ने क्षेत्र में व्यापक वन कटाई में प्रशासन की भूमिका का सार्वजनिक विरोध किया, संगठन के कार्यकर्ताओं पर लगातार पुलिस - प्रशासन की कार्यवाही होने लगी ।

जागृत आदिवासी दलित संगठन द्वारा वन अधिकार कानून और उसके तहत आदिवासियों के अधिकारों के प्रचार अभियान से आई जागरूकता के कारण वन अमले के गैर कानूनी हिंसा, पर काफी अंकुश लगने से वन विभाग में संगठन के खिलाफ काफी द्वेष रहा है । जिस पर संगठन द्वारा हाल ही में 15000 एकड़ पर वन कटाई में प्रशासनिक मिलीभगत का विरोध करने पर कार्यकर्ताओं पर दमन का दौर शुरू हुआ । संगठन कार्यकर्ता अंतराम अवासे और दिलीप सिसोदिया को जेल भेजा गया, कई मामलों में कार्यकर्ताओं को फसाया गया और माधुरी बेन को बुरहानपुर से जिला बदर किया गया !

बुरहानपुर में क्षेत्र के आदिवासियों के प्रति हिंसा का एक लंबा इतिहास है, जहां वन विभाग ने वर्षों से नियमित रूप से लोगों को उठाया है, अवैध रूप से हिरासत में लिया है और पीटा है, साथ ही लाखों की जबरन वसूली भी की है। जागृत आदिवासी दलित संगठन के नेतृत्व में आदिवासी अपने वन अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों के लिये और लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे है। साथ में अवैध वन कटाई के खिलाफ सबसे सशक्त आवाज़ भी इन्ही का रहा है ।

प्रसिद्ध "टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सस" (TISS) के स्नातक, नितिन भाई, पिछले 5 वर्षों से जागृत आदिवासी दलित संगठनके साथ हैं और संगठन केकानूनी वन अधिकारों के लिए जागरूकता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाए हैं । संगठन के सदस्यों ने नितिन भाई की गिरफ्तारी का तीखा विरोध करते हुए कहा कि यह हमारे कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के लिए अहिंसक संघर्ष पर हमला है। नितिन भाई भाई को झूठा फसाया गया है । हम ऐसे हमलों से दबने वाले नहीं हैं , बल्कि और बुलंदी से एकजुट हो कर अपने हकों के लिए लड़ेंगे !

जागृत आदिवासी दलित संगठन के ओर से : अंतराम अवासे, आशा बाई, नासरी बाई निंगवाल, वालसिंग ससतिया